न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.
प्रकरण संख्या – 22 / 2018 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्री मंगला पिता वालनाथ जोगी निवासी जैकडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरा पिता हुरजी निवासी जैकडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
2. श्री चतरा पिता कमजी तावड निवासी जैकडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
3. श्री भगा पिता शंकर तावड निवासी जैकडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
4. श्रीमती अमरीबाई पिता रामा जाबला निवासी जैकडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल जिला उदयपुर

–
विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक–14.09.2020

<u>आदेश</u>

प्रार्थी की ओर से जरिये श्री तापस कुमार एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जैकडा, पटवार हल्का जैकडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गादडी तहसील झाडोल जिला के आराजी नं. 1185 रकबा 0.75 है0 लगान 2.90, आराजी नं. 1186 रकबा 0.47 है0 लगान 1.82, आराजी नं. 1187 रकबा 0.33 है0 लगान 1.28 एवं आराजी नं. 1188 रकबा 0.07 है0 लगान 0.27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 हैक्टर कुल लगान 6.27 भूमि पडोस में विपक्षीगण की कृषि भूमि में आ गई है। प्रार्थी हाल ही में स्वंय की कृषि भूमि में फराले बोई है। विपक्षीगण अपनी भूमि बडाये जाने की गरज से प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि को हाकते हुए अन्दर की ओर बड रहे है। जिससे मौके पर विवाद होने का अन्देशा हो गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि को पत्थरगढी होना नही बताया गया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
सहायक कलेक्टर, झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

Akshay
सहायक कलेक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी की ओर से नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। इस पर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी एवं विपक्षीगण उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मौजा जैकडा पटवार हल्का जैकडा भू–अभिलेख निरीक्षक मादडी तहसील झाडोल की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता सं. 150 में उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस को नपती करा सीमाज्ञान (पत्थरगढी) करने का अधिकार निहित है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी सीमाज्ञान कराने का अधिकार होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तहसीलदार झाडोल को सीमाज्ञान (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है।

संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक को जरिये तहसीलदार झाडोल को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश किया जाता है कि मौजा जैकडा, पटवार हल्का जैकडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मादडी तहसील झाडोल जिला के आराजी नं. 1185 रकबा 0.75 है0 लगान 2.90, आराजी नं. 1186 रकबा 0.47 है0 लगान 1.82, आराजी नं. 1187 रकबा 0.33 है0 लगान 1.28 एवं आराजी नं. 1188 रकबा 0.07 है0 लगान 0.27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 हैक्टर कुल लगान 6.27 भूमि में संबंधित सभी पक्षकार की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी की जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा ट्रेस 7 योम में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Akshay

(अक्षय गोदारा IAS)

सहायक कलक्टर झाडोल

जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर

झाडोल (फ). जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर, झाडोल ★ (फ.) जिला उदयपुर ★